



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 76-अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2014

दिनांक: 29 अगस्त, 2014

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ताओं (वै० एवं या०) को अधीक्षण अभियन्ता, (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-04 के अनुसार निगम को आबण्डित/तैनात किया जाता है:-

क० सं०	नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात तैनाती का कार्यालय/स्थान/आबण्डित निगम
1	2	3	4
1.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव 86073, बस्ती, 30.09.2020	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता, वितरण फ़ैजाबाद	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ
2.	श्री अशोक कुमार जैन-86178 बाराबंकी, 31.03.2019	अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड हाथरस	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा
3.	श्री शैलेन्द्र कुमार-86181 बिहार, 31.07.2019	अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, नैनी, इलाहाबाद	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी
4.	श्री सहदेव सिंह-86182 मुजफ्फरनगर, 30.06.2020	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध विद्युत पारेषण मण्डल, मेरठ	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी

2- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निवेशित याचिका संख्या ए-नम्बर-38372/2013 -अनूप चन्द्र एवं 5 अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं 34 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।

3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

4- आवंटित अधिकारियों की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

5- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

6- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पा०का०लि०(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

7- उपरोक्त आदेश दिनांक 01-09-2014 अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

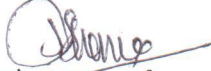
प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 76 -अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रांसमिशन का0लि0।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,


(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव